**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1203**

**सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)**

**प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना**

**1203. श्री बी. वाई राघवेन्द्र:**
**डॉ. ए. चेल्लाकुमार:**
**श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:**
**श्री प्रताप सिम्हा:**
**श्री तेजस्वी सूर्या:**
**डॉ. उमेश उमेश जी. जाधव:**
**श्री राजन बाबूराम विचारे:**
**श्री कराडी सनागन्ना अमरप्पा:**
**श्री वाई. देवेन्द्रप्पा:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना आरंभ करने का उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए पीएम-एसवाईएम आरंभ की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्नाटक राज्य में पीएम-एसवाईएम योजना के तहत अब तक नामांकित असंगठित कामगारों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है और आवंटित निधि के बहुत कम उपयोग के क्या कारण है;

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के तहत अधिक से अधिक असंगठित कामगारों को नामांकित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत अब तक किए गए व्यय और कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(च) महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लोगों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और उक्त योजना के तहत महाराष्ट्र में लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने वाले कामगारों की संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) और (ख): प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र असंगठित कामगारों को मासिक पेंशन के रूप में, वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करना है। असंगठित क्षेत्र के 18-40 वर्ष आयु वर्ग के कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये से अधिक नहीं है, इस योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। योजना के तहत, असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप

में 3000 रु. प्रदान किया जाएगा। दिनांक 01.12.2021 की स्थिति के अनुसार, पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 45,78,524 असंगठित कामगारों को पंजीकृत किया गया है। पेंशन योजना के अंतर्गत, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्रमशः 1,08,039 और 57,764 कामगारों ने अपना नामांकन कराया है।

(ग) से (ड.): गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के लिए आवंटित और उपयोग की गई राशि निम्नानुसार है;

| **वर्ष** | **आवंटित निधि (करोड़ रु. में)** | **व्यय (करोड़ रु. में))** |
|---|---|---|
| 2018-19 | 50 | 49.49 |
| 2019-20 | 408 | 359.95 |
| 2020-21 | 330 | 319.71 |

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से इस योजना को लोकप्रिय बनाने और लक्षित समूहों/पात्र कामगारों को पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन के लिए जुटाने का अनुरोध किया गया है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने पीएम-एसवाईएम योजना के कार्यान्वयन में सहयोग दिया है और असंगठित कामगारों को जुटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने भी पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन बढ़ाने के लिए अनेकह उपाय किए हैं जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना की प्रगति की आवधिक समीक्षा, आईईसी गतिविधियों के माध्यम से योजना का प्रचार, राज्य सरकारों के माध्यम से लाभार्थियों को जुटाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (एसएलएमसी) और पीएम-एसवाईएम योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियों (डीएलआईसी) का गठन करना।

(च): दिनांक 01.02.2021 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में कुल 5,90,666 कामगारों ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया है। महाराष्ट्र राज्य में पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है;

| राज्य का नाम | श्रेणी | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | ओबीसी | एससी | एसटी | |
| महाराष्ट्र | 201755 | 244632 | 78488 | 65791 | 5,90,666 |

****